



IN THE COURT OF
Chief Judicial Magistrate. AT ,Pratapgarh Presided
Over by Smt. ARCHANA TIWARI-II

आदेश

08.03.2025 (लोक अदालत)

पत्रावली में पेश हुई। अभियुक्त द्वारा अपनी स्वेच्छया एवं बिना किसी दबाव के जुर्म स्वीकार किया गया। अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियुक्त द्वारा जुर्माना न्यायालय में जमा किया गया। अर्थदण्ड राजकोष में जमा किया गया। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सी0जे0एम0,
प्रतापगढ़ ।